



284/11

दूरध्वान - 2266709
2266710
ग्र. छोटा चेन्न, 10 अशोक नगर, लखनऊ 220001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 2127 / 36 / 76 / एक / 2015-16
रोटा में,

दिनांक : 20 अगस्त 2015

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-गाजियाबाद।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (झूडा) को आसरा योजनान्तर्गत
स्वीकृत परियोजना की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को आसरा योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
सिंहिंग बैंक	85562010120829	IFSC Code SIYNB0008556	387.465

(धनराशि लाख रु० में)

क्र०सं०	जनपद/ निकाय का नाम	अनुदान राश्या	आवासों की संख्या	किश्त संख्या	अवमुक्त धनराशि
1	गाजियाबाद/लोगी योग	37	336	1	387.465 387.465

उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों में विनिहत आसरा योजना में प्रस्तावित उपरोक्त आवासों की परियोजनाओं में योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुराग द्वारा व्यय किया जाये:-

- 1— उम्प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप आसरा योजनान्तर्गत स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2— योजनान्तर्गत जो भी कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 3— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो उम्प्र० शारान द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 4— उक्त धनराशि झूडा/कार्यदायी संस्था द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में ही पूर्ण हो जायें, क्योंकि स्वीकृत परियोजना/निर्धारित समय सीमा में कार्यपूर्ण न कराये जाने की दशा में कोई भी मूल्य वृद्धि मान्य नहीं होगी।



१०८/१८

पुस्तक 22
२३०
नव बलाच केन्द्र 10 अशोक नगर, लखनऊ-2260.

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

- 5— प्रश्नमत परियोजना में भुगतान के गृही कार्यान्वयन केन्द्र, राज्य न रक्षानीय करें की स्वीकृत पर कटौती रामबन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिवक्ताओं के फ़्लॉपालन का प्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6— सूडा द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्ता की जा रही धनराशि का सप्तव्योग उरी परियोजन के लिये किया जायेगा जिराके लिये वह स्थीरत की गई है। किसी प्रकार का व्यापर्यात्मन अनुबन्ध न होगा, अन्यथा की स्थिति में जनपद के रामबन्धी अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 7— सूडा द्वारा योजनान्तर्गत अवगुक्त की जा रही धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संरक्षा से दूडा द्वारा प्रथम किश्त की प्रेषित धनराशि में उल्लिखित पाँचओंसूँ (अनुबन्ध) की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी होगी अथवा अनुबन्ध निष्पादित करने के उपरान्त धनराशि कार्यदायी संरक्षा को अवमुक्त की जाये।
- 8— दूडा द्वारा कार्यदायी संरक्षा तो अवगुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि के अनुरूप स्थल पर सम्पादित किये गए कार्य विभिन्न गतक के अनुसार गुणवत्तापरक हैं, आदि का अनुश्रवण रक्षानीय स्तर पर दूडा के प्राक्तन परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तार्देव

प्रतेलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभियान, रामबन्धी जनपद।
2. निदेशक, सी० ए०ए० डी०ए०, उ०प० जल निगम, लखनऊ।
3. श्री संजीव अग्रवाल, सहायक परियोजना अधिकारी, कार्यक्रम अनुभाग, सूडा।
4. कम्युटर सेल—सूडा।
5. लेखा विभाग—सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक